<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263230 CG-DL-E-20052025-263230

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

No. 274]

नई दिल्ली, सोमवार , मई 19,2025/वैशाख 29,1947 NEW DELHI, MONDAY, MAY 19,2025/VAISAKHA 29,1947

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली.19 मई. 2025

सा.का.नि. 317(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2025 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के, नियम 12 के, उपनियम (1ख) के, चौथे परंतुक में, "31 मार्च, 2025 को या उससे पहले" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "30 जून, 2025 को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-IV-भाग(1)] बालामुरूगन डी, संयुक्त सचिव

3255 GI/2025 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2025

G.S.R. 317(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1B), in the fourth proviso, for the words, figures and letters "on or before 31<sup>st</sup> March, 2025", the words, figures and letters "on or before 30<sup>th</sup> June, 2025" shall be substituted.

[F. NO. 1/19/2013-CL-V PartIV-Part(1)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2024.